GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. †1786

TO BE ANSWERED ON THE 02ND JULY, 2019/ ASHADHA 11, 1941 (SAKA)

REGIONAL LANGUAGE

†1786. SHRI PRATAPRAO JADHAV:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government has taken/ proposes to take any steps to use the recognised regional language of a State for the official purposes of the departments, office, enterprises, banks under the jurisdiction of the Central Government situated in that particular State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI)

(a) to (c): According to Article 343 of the Constitution, the Official Language of the Union is Hindi and the script is Devanagari. According to the Official Language Act, 1963 and Official Languages Rules, 1976, the Central Government is promoting, propagating and implementing the official language Hindi in the Ministries/Departments/Subordinate Offices and Autonomous Bodies under the Central Government.

As far as the use of regional languages in the central government offices are concerned, for the convenience of general public located in Hindi and Non Hindi speaking areas, there is a provision for the use of the regional languages authorized by the State Government in addition to Hindi and English by all the Central Government offices, public sector banks and enterprises on their boards, signages, name plates and

भारत सरकार गृह मंत्रालय लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1786

दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

क्षेत्रीय भाषा

1786. श्री प्रतापराव जाधवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभागों के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किसी राज्य की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा का उस राज्य में स्थित केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभागों, कार्यालयों, उद्यमों तथा बैंकों द्वारा उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाया है/प्रस्तावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

प्रश्न (क) से (ग) : संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों/ विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में राजभाषा हिंदी का प्रचार, प्रसार और कार्यान्वयन किया जाता है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग का संबंध है, हिंदीतर और हिंदी भाषी क्षेत्रों में आम जनता की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा उपक्रमों के बोर्डों, साइन-बोर्डों, नाम-पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का प्रावधान है।